भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3360
जिसका उत्तर शुक्रवार, 08 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

कमजोर समूहों के लिए फास्ट-ट्रैक न्यायालय

3360. श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई 2025 तक पॉक्सो और अजा/अजजा अधिनियमों के अंतर्गत मामलों के लिए कार्य कर रहे फास्ट-ट्रैक विशेष न्यायालयों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार डिजिटल केस प्रबंधन में सुधार और लंबित मामलों को कम करने के लिए काम कर रही है ; और

(ग) जनजातीय और ग्रामीण न्यायालयों में कार्यरत न्यायधीशों और विधिक सहायक कर्मिकों के लिए क्षमता निर्माण के क्या उपाय हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अधिनियमन और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश [स्वतः संज्ञान रिट (दंड) संख्या 1/2019] के अनुसरण में, अक्टूबर, 2019 में विशेष पाक्सो (ईपाक्सो) न्यायालयों सहित त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम शुरू की गई थी। ये न्यायालय बलात्संग और लैंगिक अपराधों से बालकों का निवारण (पाक्सो) अधिनियम, 2012 के अधीन अपराधों से संबंधित लंबित मामलों की समयबद्ध सुनवाई और निपटान के लिए समर्पित हैं । 790 न्यायालयों की स्थापना के लिए इस स्कीम को दो बार, नवीनतम विस्तार 31 मार्च 2026 तक, बढ़ाया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय परिव्यय ₹1952.23 करोड़ है, जिसमें ₹1207.24 करोड़ केंद्रीय अंश के रूप में सीएसएस पैटर्न पर निर्भया कोष से खर्च किए जाएंगे।

30.06.2025 तक, 29 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 392 विशिष्ट पॉक्सो (ई-पॉक्सो) न्यायालयों सहित 725 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय कार्यरत हैं, जिन्होंने स्कीम की शुरुआत से अब तक 3,34,213 मामलों का निपटारा किया है। कार्यरत त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण **उपाबंध-1** में दिया गया है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दो केंद्रीय अधिनियम अर्थात सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955, जो अस्पृश्यता के आचरण से उत्पन्न किसी भी नि:शक्तता के लिए दंड का उपबंध करता है, और अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, बनाए गए हैं जो अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार के अपराधों को रोकने के लिए है। इन अधिनियमों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों पर है। अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14, जिसे 2015 में संशोधित किया गया था, यह निर्दिष्ट करती है कि शीघ्र सुनवाई के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से एक या अधिक जिलों के लिए एक अनन्य विशेष न्यायालय की स्थापना करेगी, परंतु यह कि जिन जिलों में इस अधिनियम के अधीन कम संख्या में मामले दर्ज किए जाते हैं, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से ऐसे जिलों के लिए अधिनियम के अधीन अपराधों की सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय को एक विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करेगी।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत रजिस्ट्री कृत अपराधों से निपटने के लिए देश भर में 211 विशिष्ट विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

(ख) : न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के विशेष अधिकार क्षेत्र में है। तथापि, सरकार न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे और लंबित मामलों को कम करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य से, सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु कई पहल की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना प्रणाली में विलंब और बकाया में कमी करके पहुंच में वृद्धि करने और निष्पादन मानकों और क्षमताओं को स्थापित करने के द्वारा और संरचना परिवर्तन के माध्यम से जवाबदेहीता को बढाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ अगस्त, 2011 में की गई थी । मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें

अन्य बातों के साथ-साथ कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय और मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुनः अभियांत्रिकी और मानव संसाधन विकास पर जोर देना शामिल है।

ii. न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को न्यायालय कक्षों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए धनराशि जारी की जा रही है, जिससे वादियों सहित विभिन्न हितधारकों का जीवन आसान हो सके और न्याय प्रदान करने में सहायता मिले। 1993-94 में इस स्कीम की शुरुआत से लेकर अब तक 30.06.2025 तक 12,101.89 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इस स्कीम के अंतर्गत न्यायालय भवनों की संख्या 15,818 (30.06.2014 तक) से बढ़कर 22,372 (30.06.2025 तक) हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या 10,211 (30.06.2014 तक) से बढ़कर 19,851 (30.06.2025 तक) हो गई है।

iii. ई-न्यायालय मिशन मोड स्कीम के चरण I और II के अधीन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है और 2023 तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया। 2977 साइटों को वैन संयोजकता प्रदान की गई है। 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा सक्षम की गई थी। वकीलों और वादियों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करके डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए 778 ई-सेवा केंद्र (सुविधा केंद्र) स्थापित किए गए। 17 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 21 आभासी न्यायालय स्थापित किए गए, जिन्होंने 2.78 करोड़ से अधिक मामलों को निपटाया और मार्च 2023 तक 384.14 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया।

ई-न्यायालय स्कीम के तीसरे चरण (2023-2027) को 13.09.2023 को 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई थी, जिसका उद्देश्य डिजिटल, ऑनलाइन और पेपरलेस न्यायालयों की ओर बढ़कर न्याय में आसानी की व्यवस्था लाना है। इसका उद्देश्य न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया को उत्तरोत्तर अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए कृतिम आसूचना (एआई) जैसी नवीनतम तकनीक को शामिल करना है। डिजिटल मामला मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत, उन्नत सुविधाओं के साथ ई-फाइलिंग सिस्टम (संस्करण 3.0) शुरू किया गया है जिससे वकील 24X7 कहीं से भी मामलों से संबंधित दस्तावेज़ों तक पहुँच सकें और उन्हें अपलोड कर सकें। शुल्क आदि के परेशानी मुक्त भुगतान के लिए ई-भुगतान प्रणाली शुरू की गई है। समन जारी करने और तामील करने की तकनीक-सक्षम प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग (एनएसटीईपी) शुरू की

गई है।अब तक उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में न्यायालय अभिलेख के 506.05 करोड़ पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। एक निर्णय खोज पोर्टल शुरू किया गया है जिसमें न्यायपीठ, मामला प्रकार, मामला संख्या, वर्ष, याचिकाकर्ता/प्रतिवादी का नाम आदि जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। यह सुविधा सभी के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। वकीलों/वादियों को मामला की स्थिति, वाद सूची, निर्णयों आदि के बारे में एसएमएस पुश एंड पुल, ईमेल, बहुभाषी ई-न्यायालय सेवा पोर्टल, सूचना कियोस्क, वकीलों/वादियों के लिए ई-न्यायालय मोबाइल ऐप (अब तक 3.16 करोड़ डाउनलोड) और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस ऐप (अब तक 21,716 डाउनलोड) के माध्यम से कई ई- न्यायालय सेवाएँ उपलब्ध हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3.65 करोड़ से अधिक सुनवाई हुई है और 11 उच्च न्यायालयों में लाइव स्ट्रीमिंग कार्यात्मक है। उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में ई-सेवा केंद्रों (सुविधा केंद्रों) की संख्या बढ़कर 1814 हो गई है। अधिक निष्पक्षता, एकरूपता, पारदर्शिता और गति लाने के लिए, देश भर के जिला और तालुका न्यायालयों में मामला सूचना प्रणाली (सीआईएस) संस्करण 4.0 सॉफ्टवेयर लागू किया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय में मामला प्रबंधन सुनवाई और मौखिक निर्णयों के प्रतिलेखन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है।

iv. सरकार भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को नियमित रूप से भरती रही है। 01.05.2014 से 21.07.2025 तक उच्चतम न्यायालय में 70 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इसी अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों में 1058 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और 794 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मई, 2014 में 906 से बढ़कर अब तक 1122 हो गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पदसंख्या में निम्नानुसार वृद्धि हुई है:

निम्न तारीख के अनुसार	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
05.08.2025	25,843	21,113

स्रोत: न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल

तथापि जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

v. अप्रैल 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया समितियों का गठन किया गया है। जिला न्यायालयों के अधीन भी बकाया समितियों का गठन किया गया है।

vi. चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में जघन्य अपराधों वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि के मामलों से निपटने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना की गई है। 30.06.2025 तक, जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों के विरूद्ध अपराध आदि के मामलों को संभालने के लिए 865 त्वरित निपटान न्यारयालय कार्यात्मक हैं। निर्वाचित संसद् सदस्यों विधानसभा सदस्यों/से जुड़े दंड मामलों को त्वरित निपटान करने के लिए, नौ (9) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में दस (10) विशेष न्यायालय कार्यात्मक हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार ने बलात्संग और पाक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए देश भर में त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने की स्कीम को मंजूरी दी है। 30.06.2025 तक, देश भर के 29 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 392 अनन्य पाक्सो (ईपाक्सो) न्यायालयों सहित 725 एफटीएससी कार्यात्मक हैं, जिन्होंने 3,34,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

vii. न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने और कामकाज को आसान बनाने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न विधियों में संशोधन किया है, जैसे कि परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोश (संशोधन) अधिनियम, 2018, मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018।

viii. वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों को पूरे दिल से बढ़ावा दिया गया है। तदनुसार, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को अगस्त, 2018 में संशोधित किया गया था, जिससे वाणिज्यिक विवादों के मामले में पूर्व-संस्था मध्यस्थता और निपटान (पीआईएमएस) अनिवार्य हो गया। पीआईएमएस तंत्र की दक्षता को और बढ़ाने के लिये सरकार ने मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के माध्यम से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में और संशोधन किया है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2015, 2019 और 2021 द्वारा समयसीमा निर्धारित करके विवादों के त्वरित समाधान में तेजी लाने के लिए किया गया है।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधीन, मामला प्रबंधन सुनवाई का उपबंध है जो किसी मामले के कुशल, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण न्यायिक प्रबंधन के लिए उपबंध करता है जिससे विवाद का समय पर और गुणवत्तापूर्ण समाधान प्राप्त किया जा सके। यह तथ्य और विधि के विवादित मुद्दों की शीघ्र पहचान, मामले के जीवन के लिए प्रक्रियात्मक कैलेंडर की स्थापना और विवाद के समाधान की संभावनाओं की खोज में सहायता करता है।

वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए शुरू की गई एक अन्य नवीन विशेषता रंग बैंडिंग की प्रणाली है, जो किसी भी वाणिज्यिक मामले में दी जाने वाली स्थगन की संख्या को तीन तक सीमित कर देती है तथा न्यायाधीशों को लंबित मामलों के चरण के अनुसार मामलों को सूचीबद्ध करने के बारे में सचेत करती है।

ix. लोक अदालत आम लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। जहाँ न्यायालय में लंबित या मुकदमेबाजी से पहले के विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय सिविल न्यायालय का निर्णय माना जाता है और यह अंतिम होता है तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालत कोई स्थायी संस्था नहीं है। राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक साथ पूर्व-निर्धारित तारीख पर आयोजित की जाती हैं।

पिछले चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लोक न्यायालयों में निपटाए गए मामलों का विवरण निम्नानुसार है: -

वर्ष	मुकदमे-पूर्व मामले	लंबित मामले	कुल योग
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023	7,10,32,980	1,43,09,237	8,53,42,217
2024	8,70,19,059	1,75,07,060	10,45,26,119
2025(मार्च तक)	2,58,28,368	50,82,181	3,09,10,549
कुल	**22,21,01,916**	**5,33,91,016**	**27,54,92,932**

x. सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राम पंचायतों में स्थित सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ विधिक सलाह और परामर्श चाहने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

*टेली-लॉ डेटा का प्रतिशतवार ब्यौरा

30 जून 2025 तक	रजिस्ट्रीकृत मामले	% वार ब्रेक अप	सलाह सक्षम	% वार ब्रेक अप
लिंग वार				
महिला	44,81,170	39.58%	44,21,450	39.55%
पुरुष	68,39,728	60.42%	67,58,085	60.45%
जाति श्रेणी वार				
सामान्य	26,89,371	23.76%	26,48,100	23.69%
ओबीसी	35,64,430	31.49%	35,16,236	31.45%

अनुसूचित जाति	35,27,303	31.16%	34,90,737	31.22%
अनुसूचित जनजाति	15,39,794	13.60%	15,24,462	13.64%
कुल	**1,13,20,898**		**1,11,79,535**	

xi. देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं। एक तकनीकी ढांचा तैयार किया गया है, जहाँ प्रो बोनो कार्य के लिए अपना समय और सेवाएँ देने वाले अधिवक्ता न्याय बंधु (एंड्रॉइड और आईओएस और ऐप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण कर सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएँ उमंग प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों स्तर पर 23 उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल शुरू किया गया है। नवोदित वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 109 लॉ स्कूलों में प्रो बोनो क्लब शुरू किए गए हैं।

xii. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन किया गया था जिससे समाज के कमजोर वर्गों, जिनमें एलएसए अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी भी शामिल हैं, को निःशुल्क विधिक सेवाएँ प्रदान की जा सकें। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय पाने के अवसरों से वंचित न किया जाए। पिछले तीन वर्षों के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	**विधिक सहायता और सलाह से लाभान्वित व्यक्ति**
2022-23	12,14,769
2023-24	15,50,164
2024-25	16,57,527
कुल	**44,22,460**

विधिक सेवा प्राधिकरण देश भर में बच्चों, मज़दूरों, आपदा पीड़ितों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों आदि से संबंधित विभिन्न विधियों और स्कीमों के संबंध में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण विभिन्न विधियों पर सरल भाषा में पुस्तिकाएँ और पैम्फलेट भी तैयार करते हैं, जिन्हें लोगों में वितरित किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	**विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए**	**उपस्थित व्यक्ति**
2022-23	4,90,055	6,75,17,665

2023-24	4,30,306	4,49,22,092
2024-25	4,62,988	3,72,32,850
कुल	**13,83,349**	**14,96,72,607**

(ग) : राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी नियमित रूप से न्यायाधीशों और विधिक सहायता कर्मियों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करती है, उन्हें नवीनतम विधिक ज्ञान, व्यावहारिक कौशल और कमजोर समूहों के सामने आने वाली चुनौतियों की गहरी समझ से लैस करती है, जिससे उन लोगों को विधिक सहायता प्रदान की जा सके जो अन्यथा प्रभावी विधिक प्रतिनिधित्व का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं, जिससे न्याय तक समान पहुंच के लक्ष्य को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाया जा सके।

विधिक सेवा संस्थानों में कार्यरत विधिक सहायता कर्मियों के लिए क्षमता निर्माण के उपाय हाशिए पर और अक्सर कम सेवा प्राप्त समुदायों की प्रभावी रूप से सेवा करने के लिए उनके कौशल, ज्ञान और संसाधनों को मजबूत करने पर केंद्रित हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) ने विधिक सेवा वकीलों और परा-विधिक स्वयंसेवकों (पीएलवी) के प्रशिक्षण के लिए 4 प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए हैं।

****

उपाबंध-1

अनन्य पाक्सो न्यायालयों सहित कार्यरत त्वरित निपटान विशेष न्यायालय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण (30.06.2025 तक)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	क्रियात्मक न्यायालय	
		अनन्य पाक्सो सहित एफटीएससी	अनन्य पाक्सो
1	आंध्र प्रदेश	16	16
2	असम	17	17
3	बिहार	46	46
4	चंडीगढ़	1	0
5	छत्तीसगढ	15	11
6	दिल्ली	16	11
7	गोवा	1	0
8	गुजरात	35	24
9	हरियाणा	18	14
10	हिमाचल प्रदेश	6	3
11	जम्मू - कश्मीर	4	2
12	कर्नाटक	30	17
13	केरल	55	14
14	मध्य प्रदेश	67	56
15	महाराष्ट्र	2	1
16	मणिपुर	2	0
17	मेघालय	5	5
18	मिजोरम	3	1
19	नागालैंड	1	0
20	ओडिशा	44	23
21	पुदुचेरी	1	1
22	पंजाब	12	3
23	राजस्थान	45	30
24	तमिलनाडु	14	14
25	तेलंगाना	36	0
26	त्रिपुरा	3	1
27	उत्तराखंड	4	0
28	उत्तर प्रदेश	218	74
29	पश्चिमी बंगाल	8	8
30	झारखण्ड*	0	0
31	अंदमान एवं निकोबार द्वीपसमूह**	0	0
32	अरुणाचल प्रदेश***	0	0
	कुल	**725**	**392**

टिप्पण: स्कीम की शुरुआत में, देश भर में त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीएससी) का आवंटन प्रति न्यायालय 65 से 165 लंबित मामलों के मानदंड पर आधारित था, अर्थात प्रत्येक 65 से 165 लंबित मामलों के लिए एक त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित किया जाएगा। इसके आधार पर, केवल 31 राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र ही इस स्कीम में शामिल होने के पात्र थे।

*झारखंड राज्य ने त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीएससी) स्कीम से बाहर निकलने का फैसला किया है। तथापि, स्कीम की शुरुआत से लेकर मई 2025 तक 9,114 मामलों के संचयी निपटान को त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीएससी) स्कीम के अधीन दर्ज किए गए समग्र निपटान आंकड़ों में शामिल किया जाना जारी रहेगा।

** अंदमान और निकोबार द्वीप समूह ने इस स्कीम में शामिल होने के लिए सहमति दे दी है, लेकिन अभी तक कोई भी न्यायालय चालू नहीं हुई है।

*** अरुणाचल प्रदेश ने बलात्संग और पाक्सो अधिनियम के लंबित मामलों की बहुत कम संख्या का हवाला देते हुए इस स्कीम से बाहर होने का विकल्प चुना है।.

****